

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in. Ph/FAX 0141-2227280 2227072

क्रमांक: एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/ 1368

दिनांक: 24.02.21

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)
अलवर, बारां, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर,
करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के संबंध में।

संदर्भ:-आयोग का पत्रांक 1094 दिनांक 09.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा 12 जिलों की जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। निर्वाचक नामावली के उक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से राज्य सरकार द्वारा सृजित की गई नगरपालिकाओं से प्रभावित 18 पंचायत समितियों को पृथक रखा गया था, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	क्र. सं.	जिले का नाम	क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम
1.	अलवर	1.	बानसूर	6.	जयपुर	11.	बस्सी
		2.	लक्ष्मणगढ़			12.	पावटा
		3.	रामगढ़	7.	जोधपुर	13.	भोपालगढ़
		4.	कठूमर	8.	करौली	14.	सपोटरा
2.	बारां	5.	अटारू	9.	कोटा	15.	सुल्तानपुर
3.	भरतपुर	6.	नगर	10.	सवाईमाधोपुर	16.	बामनवास
		7.	उच्चैन	11.	श्रीगंगानगर	17.	सादुलशहर
4.	दौसा	8.	लालसोट	12.	सिरोही	18.	सिरोही
5.	धौलपुर	9.	बसेडी				
		10.	सरमथुरा				

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 429 दिनांक 23.02.2021 के माध्यम से नगरपालिकाएं, जिनके सृजन से उक्त 18 पंचायत समितियां प्रभावित हुई थी, के गठन हेतु जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 631/19.06.2020 एवं 748/25.06.2020 तथा इनमें संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 1006/13.08.2020 एवं 1299/27.08.2020 को निरस्त/विखण्डित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचनाओं को निरस्त/विखण्डित कर दिया जाने से अब उक्त 18 पंचायत समितियों की निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने में कोई अडचन नहीं है।

अतः उक्त 18 पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि उक्त 18 पंचायत समितियों के लिए भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य आयोग के पत्रांक 1094/09.02.2021 के द्वारा प्रेषित पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार ही कराया जाए।

20.02.21

आयोग के पत्रांक 1094/09.02.2021 के द्वारा प्रेषित पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	17.03.2021 (बुधवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	20.03.2021 को
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.03.2021 (शुक्रवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	20.03.2021 एवं 21.03.2021 को
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	05.04.2021 (सोमवार) तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	16.04.2021 (शुक्रवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	19.04.2021 (सोमवार) को

प्रारूप निर्वाचक नामावलियां तैयार करने हेतु प्रपत्र ए-1 तैयार करने, ई-सूची पर अपलोड/प्रोसेस करने, चैक लिस्ट तैयार कर वैरीफाई करने, आवश्यक होने पर संशोधित प्रपत्र ए-1 तैयार कर ई-सूची पर अपलोड/प्रोसेस करने इत्यादि के लिए कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए-1 को तैयार करने की अंतिम तिथि	03.03.2021
2.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	07.03.2021
3.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	08.03.2021
4.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	09.03.2021
5.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	12.03.2021
6.	संशोधित प्रपत्र-1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हुआ तो)	14.03.2021
7.	संशोधित प्रपत्र-1 को Process करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रपत्र ए-1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
9.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	15.03.2021

उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
चित्रा गुप्ता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 24.02.2021

क्रमांक: एफ 7(1)(2)पंचा/रानिआ/2019/1369-1374
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, कार्यालय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त 12 जिलों में जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने हेतु कार्यक्रम उक्तानुसार जारी किया गया है। अतः अनुरोध है कि इन 12 जिलों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक नवीन नगरपालिकाओं के गठन की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाए।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रबंधक, REIL जयपुर।

अशोक कुमार जैन
उप सचिव